Research Ambition ISSN: 2456-0146
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer - reviewed, Open Accessed & Indexed)
Web: www.researchambition.com Email: publish2017@gmail.com
Vol. 3, Issue-IV
Feb. 2019
Impact Factor : 5.936 (SJIF) ******* e-ISJN: A4372-3068

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार (SECL कुम्दा के विशेष संदर्भ में)

शोध निर्देशिका

डॉ. प्रतिमा बैस
सहायक प्राध्यापक (विभागाध्यक्ष)
डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय,
करगी रोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

शोधार्थी

नित्या सिंह
एम.फिल्. अर्थशास्त्र
डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय,
करगी रोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

सारांश –

समाज के सामाजिक व आर्थिक विकास में CSR का महत्वपूर्ण योगदान रहता है कोयला कम्पनियॉ आमतौर पर खनन गतिविधियों के लिए सामुदायिक प्रतिरोध के लिए प्रवण है इसलिए संभावित सामुदायिक प्रतिरोध को कम करने के लिए कोयला कंपनीयो के हाथों में सीएसआर एक महत्वपूर्ण उपकरण है। SECL एक सच्चे इरादे के साथ CSR को पूरी ईमानदारी से निभा रहा हैं। CMD श्री रेड्डी एक सच्चे दूरदर्शी के रूप में CSR पर ध्यान केन्द्रित कर रहे है जो सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके हाथों में एक उत्प्रेरक उपकरण के रूप में जो ड़िफॉल्ट के रूप से कार्पोरेट लक्ष्यों की उपलब्धियों का समर्थन करता हैं SECL भी सामाजिक विकास के लिए हमेशा तत्पर्य रहा है। SECL एक जिला प्रशासन के साथ–साथ स्थानीय समुदायो, स्थानीय प्रतिरोधियों मंत्रालयों, जिला सरकारी प्रतिनिधियों, विधायको, सांसदों, कोल इंडिया लिमिटेड आदि के द्वारा पहचानी जाने वाली CSR प्रयोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करता है। समाज के सामाजिक व आर्थिक विकास में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन उद्योग द्वारा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण संबंधी जो सुविधाएं प्रदान की जाती है। इससे कार्यकारी वातावरण उपयुक्त है और ये उद्योग द्वारा दी गई सुविधाओं से संतुष्ट है। इस शोध पत्र के माध्यम से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के सम्बनध में अध्ययन करना है।

शब्द कुंजी: सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति।

प्रस्तावना :–

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व किसी भी निगम इकाई की उस समाज के प्रति वह दायित्व है, जो समाज द्वारा दिये गये सहयोग और समाज पर होने वाले संभावित दुष्प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। कंपनिया किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक संपति का दोहन करती है, पर्यावरण को प्रदूषित करती है और वहां पर बसे लोगो के लिये

असुविधा पैदा करती है अतः कंपनियों का यह दायित्व बनता है कि वे अपने लाभ का कुछ अंश समाज और उस क्षेत्र में बांटे।

सामाजिक उत्तरदायित्व से यह तात्पर्य है कि किसी भी कार्य के लिये नैतिक रूप से जिम्मेदार होना, जो किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समूचे समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में योगदान करता हो तो औधोगिक सामाजिक दायित्व का अर्थ न केवल नीतिबद्ध रूप से व्यवहार करना, बल्कि समाज की जीवनशैली में सुधार लाने के साथ साथ आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने की वचनबद्धता भी होती है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) नियम कंपनी अधिनियम, 2013 के 7 वे अनुसूचि के खण्ड 135 के तहत् परिभाषित है जो कि 01 अप्रैल 2014 से प्रभाव में आया। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व मानदण्ड उन कंपनियो पर लागू होता है जिनका सालाना टर्नओवर 1000 करोड़ रू. या इससे अधिक का है, या जिसका कुल मूल्य 500 करोड़ रू. या उससे अधिक है या शुद्ध लाभ 5 करोड़ रू. या उससे अधिक है। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व मानदण्डो के अनुसार कंपनियों को एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समति स्थापित करनी होती है। जिसमें उनके बोर्ड के सदस्य कम से कम एक स्वतंत्र निर्देशक का होना आवश्यक होता है। यह कंपनियो को बीते तीन वर्षो में हुये उनके औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो फीसदी सी.एस.आर. गतिविधियों में खर्च करने को भी प्रोत्साहित करती है।[1]

1 अप्रैल 2014 के पहले भारत में कार्पोरेट को सामाजिक दायित्वो की पूर्ति करना कानूनन अनिवार्य नही था। हालांकि कुछ कम्पनियां स्वंय आगे बढ़कर समाज के गरीब लोगो की मद्द कई रूपों में करती रही है इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और परिवार कल्याण, बुनियादी ढाचे का विकास, आजीविका का विकास आदि शामिल है। 01 अप्रैल 2014 कम्पनी एक्ट 2013 के प्रभाव में आने के बाद ही, यह कम्पनीयों के लिए कानूनन अनिवार्य बना। सरल शब्दो में कार्पोरेट के सामाजिक उत्तरदायित्व को समझना हो तो हम कह सकते है कि ''निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनियो को व्यापार प्रक्रिया में कुशल प्रबंधन के साथ साथ समाज को सकारात्मक सुविधाये प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

विषय/शीर्षक चयन के कारण :–

भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की स्थिति बहुत अच्छी नही है। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। इन सभी दृष्टिकोण से सूरजपुर जिले के कुम्दा ग्राम एस.ई.सी.एल. मेरे अध्ययन के लिए अनुकुल रहा है। लेकिन एस.ई.सी.एल. में कार्यरत कर्मचारियों का जीवन सुरक्षा की दृष्टि से कही ज्यादा असुरक्षित होता है, तथा उन पर किये जाने वाले सुरक्षात्मक उपाय न्यून होते है।इन सभी कारणों का प्रभाव कोयला श्रमिको के जीवन की असुरक्षा और उसके जीवन स्तर पर पड़ता है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि कोयला श्रमिको का यथार्थ वैज्ञानिक अध्ययन किया जाये।[2]

---

[1] संवाशिव राव, लालकृष्ण (1996),''कल्याण, स्वास्थ्य और श्रमिकों की सुरक्षा का एक अध्ययन गुंटूर जिले के सीमेंट उद्योग'', नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर।

[2] लोकशक्ति, के. और राजगोपाल के. (तमिलनाडू) 2013।

अध्ययन के उद्देश्य/परिकल्पनाएँ

उद्देश्य–

प्रत्येक अनुसंधान का कोई न कोई परियोजन होता है। प्रस्तावित शोध प्रबंध– निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार (SECL कुम्दा के विशेष संदर्भ में) के अंग्राक्ति उद्देश्य निधारित किये गये हैः–

1. एस.ई.सी.एल. में कार्यरत मजदूरो की सामाजिक जीवन का अध्ययन।
2. एस.ई.सी.एल. में कार्यरत मजदूरों की आर्थिक जीवन का अध्ययन।
3. एस.ई.सी.एल. में कार्यरत मजदूरों के कठिनाइयों एवं समस्याओं का अध्ययन।

परिकल्पनाएँ –

सत्यान्वेषण एवं किसी तथ्य के निष्कर्ष तक पहुचने के लिए अवधारणाओं का होना आवश्यक है ताकि अध्ययन कर्ता इस बात की जानकारी प्राप्त कर ले कि उनके परिकल्पना कहां तक उचित थी। परिकल्पनाओं का होना इसलिए भी आवश्यक है कि वह अपने अध्ययन की दिशा निर्धारित कर सके और जिसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो सके।

इस संदर्भ में निम्न परिकल्पनाएँ की गई है–

- सी.एस.आर. के द्वार एस.ई.सी.एल. में कार्यरत मजदूरो के सामाजिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- एस.ई.सी.एल. में कार्यरत मजदूरों में स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं की कमी पाई गई होगी।
- एस.ई.सी.एल. में कार्यरत मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिर्वतन हो सकता है।[3]

शोध प्रविधि :–

प्रस्तुत अध्ययन के लिए विषय से संबंधित तथ्यों के संकलन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको का प्रयोग किया जाना है। प्रथमिक समंको का संकलन विस्तृत साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया जावेगा। जिसमें श्रमिको की पारिवारिकों एवं व्यवसायिक स्थिति, कार्मिक एवं व्यक्तिगत जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं कौशल संबंधी पहलुओं से संबंधित जानकारियॉ एकत्र की जावेगी। व्यक्तिगत अवलोकन द्वारा समस्याओं एवं सुविधाओं का देखा जायेगा।

प्रस्तावित शोध अध्ययन के लिए द्वितीयक संमको की प्राप्ति हेतु सी.एस.आर. तथा अध्ययन से संबंधित प्रकाशनों सबंधित विभागीय विवरणों तथा प्रकाशित तथा अप्रकाशित उपलब्ध स्त्रोंतो में समंक सकलित किये जायेगे। इसमें मुख्यतः पत्र– पत्रिकाओं तथा विश्वविद्यालयों के संदर्भ ग्रंथों सें संकलन किया जाना है। इस समंको के लिए इंटरनेट/वेवसाईट का भी प्रयोग किया जावेगा।

---

[3] मौलवी, एम.एम. (2003), ''सामाजिक सुरक्षा–सह सामाजिक कल्याण उपायों की उत्पादन पर प्रभाव'', हुबली और बैंगलोर के के.एस.आर.टी.सी. क्षेत्रीय कार्य शाला का अध्ययन, कनटिक विश्वविद्यालय, धारवाड

निष्कर्ष :–

कोल इंडिया के जितने भी क्षेत्र है उसमें एस.ई.सी.एल. को मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त है। एस.ई.सी.एल. कुम्दा सूरजपुर जिले में सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा की सुविधायें जैसे–आवास, पानी, विद्युत बाजार की सुविधा, स्वच्छता, शिक्षा एवं चिकित्सा आदि सुविधायें उपलब्ध कराता है। कोयला श्रमिक भी समाज के एवं महत्वपूर्ण सदस्य एवं अंग है। यहां पर कार्यरत श्रमिक जो स्थानीय और दूरस्थ स्थल से आए है, जिनकी अपनी भाषा, संस्कृति, मान्यताएँ एवं परंपराए है। इन्हें बेहतर भौतिक सुख सुविधा साधन उपलब्ध कराने में कम्पनी द्वारा दी जाने वाली सामाजिक सुविधा एवं आर्थिक सुरक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये दोनो तथ्य श्रमिक के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। एस.ई.सी.एल. में कार्यरत श्रमिको को स्वास्थ्य संबिधत विशेष सुविधाए प्रदान की गई है। एस. ई.सी.एल. चिकित्सालय द्वारा श्रमिको को मुफ्त में दवाईया व उपचार प्रदान किया जाता है तथा तत्काल एबुलेंस की सुविधा भी दी जाती है। साथ ही साथ प्राथमिक उपचार भी प्रदान किया जाता है।

संदर्भ सूची :–

- भगोलीवाल टी.एन. 1988 ''श्रम समस्याएं व औद्योगिक संबंध साहित्य भवन आगरा''।
- दुबे अनुजा (डॉ.सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय बिलासपुर) 2012 एम.फिल् थीसिस।
- गर्ग डॉ विनोद (डॉ.सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय बिलासपुर) 2014 .एम.फिल् थीसिस।
- कुलश्रेष्ट आर.एस.1988 ''औद्योगिक अर्थशास्त्र सांहित्य सदन आगरा।
- लोकशक्ति, के. और राजगोपाल के. (तमिलनाडू) 2013।
- महाजन, कमलेश एवं महाजन, धर्मवीर (1987–88), प्रकाशन म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
- मौलवी, एम.एम. (2003), ''सामाजिक सुरक्षा–सह सामाजिक कल्याण उपायों की उत्पादन पर प्रभाव'', हुबली और बैंगलोर के के.एस.आर.टी.सी. क्षेत्रीय कार्य शाला का अध्ययन, कनटिक विश्वविद्यालय, धारवाड़।
- मिश्रा, पुरी, (2006), ''भारतीय अर्थव्यवस्था'' प्रकाशन हिमालया पब्लिशिंग हाउस।
- नायक, राजकुमार (1999), ''औद्योगिक संबंध और सामाजिक कल्याण, रेमण्ड सीमेंट वर्क्स गोपाल नगर के संदर्भ में'', गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)।
- परवीन कुमारी शबाना (डॉ.सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय बिलासपुर) 2016 .एम.फिल् थीसिस।
- रमन अनु (डॉ.सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय बिलासपुर) 2016 .एम.फिल् थीसिस।
- संवाशिव राव, लालकृष्ण (1996), ''कल्याण, स्वास्थ्य और श्रमिकों की सुरक्षा का एक अध्ययन गुंटूर जिले के सीमेंट उद्योग'', नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर।
- सराफ, संजीव (2013), ''श्रम कानून'' 34 सिख मोहल्ला, जिला कोर्ट के पास इन्दौर, इण्डिया पब्लिशिंग कम्पनी।

****